



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335]

नई दिल्ली, शक्रवार, अक्तूबर 12, 2018/आश्विन 20, 1940

No. 335]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2018/ASVINA 20, 1940

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2018

सं. 98-प्रेस/2018.—भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता में, यह निर्देश देते हैं कि अधिसूचना सं. 72-प्रेस/2014, दिनांक 22 अक्तूबर, 2014, अधिसूचना संख्या 32-प्रेस/2015, दिनांक 06 अप्रैल, 2015, अधिसूचना संख्या 85-प्रेस/2017, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 और अधिसूचना संख्या 01/प्रेस/2018 दिनांक 04 जनवरी, 2018 के तहत क्रमशः 24 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-I, खंड-1, 10 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-I और खंड-1 में किए गए परवर्ती संशोधनों, 24 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-I और खंड-1 और 5 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-I और खंड-1 में प्रकाशित, कुलाध्यक्ष पुरस्कारों के विनियमन संबंधी श्रेणियों और दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :-

2. अधिसूचना सं. 85-प्रेस/2017, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 के उप-पैरा (ii) की तालिका में और अधिसूचना सं. 01/प्रेस/2018, दिनांक 04 जनवरी, 2018 के पैरा 6 में “विवरण” के अंतर्गत सभी प्रविष्टियों को इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

“विजेता प्रविष्टि के लिए प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नकद पुरस्कार की कुल राशि दो लाख पचास हजार रुपए होगी। यदि प्राप्तकर्ताओं की संख्या दो या उससे अधिक है तो नकद पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांटी जाएगी, बशर्ते कि प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को कम से कम एक लाख रुपए प्राप्त होंगे।”

3. अधिसूचना सं. 1/प्रेस/2018, दिनांक 04 जनवरी, 2018 के पैरा 6 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

- क्रम सं. 2(ख) के सामने दर्ज पुरस्कार का नाम, “अनुसंधान (मौलिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान) के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार” अब “अनुसंधान (भौतिक विज्ञान) के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार” होगा।
- पुरस्कार के नाम में 2(ग) के रूप में एक नई उप-श्रेणी “अनुसंधान (जैविक विज्ञान) के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार” जोड़ी जाएगी। नकद पुरस्कार का विवरण वही रहेगा जो ऊपर पैरा-2 में उल्लिखित है।

भरत लाल, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th October, 2018

No. 98-Pres/2018.—The President of India, in his capacity as Visitor of Central Universities, is pleased to direct that the following amendments shall be made in the categories and guidelines governing the Visitor's Awards published in Part I, Section 1 of the Gazette of India (Extraordinary) of October 24, 2014, Part I, and subsequent amendments made in Section 1 of the Gazette of India (Extraordinary) of April 10, 2015, Part I, Section 1 of the Gazette of India (Extraordinary) of April 24, 2017 and Part I, Section 1 of the Gazette of India (Extraordinary) of January 5, 2018 under Notification Nos. 72-Pres/2014 dated October 22, 2014, 32-Pres/2015 dated April 6, 2015, 85-Pres/2017 dated April 20, 2017, and 01/Pres/2018 dated January 4, 2018 respectively:-

2. In the table in sub para (ii) of the Notification No. 85-Pres/2017 dated April 20, 2017 and in Para 6 of the Notification No. 01/Pres/2018 dated January 4, 2018 all the entries under "Details" shall be read as:

"Citation and cash reward will be presented to the winning entry. The total value of the cash reward will be **Rupees Two and Half Lakhs**. If there are two or more recipients, the cash reward will be shared equally between them, subject to the condition that, each awardee will receive a minimum of **Rupees One Lakh**."

3. In the Para 6 of the Notification No. 01/Pres/2018 dated January 4, 2018, the following amendments are made:

- (i) Title of the Award against Sl No. 2(B), "Visitor's Award for Research (Basic and Applied Sciences)" shall now be "Visitor's Award for Research (Physical Sciences)"
- (ii) A new sub-category "Visitor's Award for Research (Biological Sciences)" in the Title of the Award will be inserted as 2(C). Details of cash reward will be same as mentioned in Para 2 above.

BHARAT LAL, Jt. Secy. to the President